LABOUR AND EMPLOYMENT DEPARTMENT

The 28th December, 1987

No. 10 (178)-80-5Lab.—In exercise of the powers conferred by section 87 read with section 91A of the Employees State Insurance Act, 1948 (Central Act 34 of 1948) and after consultation with the Employees State Insurance Corporation, the Governor of Haryana hereby exempts the Haryana Tourism Corporation from the operation of the said Act, with effect from the 1st April, 1986 to the 31st March, 1987.

MEENAXI ANAND CHAUDHRY,

Commissioner and Secretary to Government, Haryana,

Labour and Employment Department.

राजस्व विभाग

पुद्ध जागीर

दिनांक 21 दिसम्बर, 1987

क्रमांक 1411-ज(2)-87/38138.—श्री रामजीलाल, पुत्र श्री नानग राम, निवासी गांव अचीना, तहसील दादरी, जिला भिवानी, को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1)(ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 8454-जे०एन-III-65/6597, दिनांक 20 सितम्बर, 1965 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये और उस के बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979, द्वारा 150 रुपये से बढ़ा कर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री रामजीलाल की दिनांक 22 फरवरी, 1985 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस जागीर को श्री रामजीलाल की विधवा श्रीमती सरजा वती के नाम खरीफ, 1985 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अनुसार, तबदील करते हैं।

क्रमांक 1427-ज-2-87/38143.—श्री श्योकरण, पुत्र श्री आसा राम, निवासी गांव बारड़ा, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1)(ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1133-ज-(I)-81/25524, दिनांक 22 जुलाई, 1981, द्वारा 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री श्योकरण की दिनांक 12 अप्रैल, 1987, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस जागीर को श्री श्योकरण की विधवा श्रीमती कस्तूरी देवी के नाम खरीफ, 1987 से 300 रुपये वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अनुसार तबदील करते हैं।

सोम नाथ रत्न,

अवर सचिव, हरियाणा सरकार,

राजस्व (चैखा तथा जागीर) विभाग।